न्यायालय तालुका विधिक सेवा(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या–02)केकड़ी
राष्ट्रीय लोक अदालत–2023 मुकाम भिनाय
प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./49/2023

1. गणपतसिंह पुत्र नाथूसिंह जाति राजपूत निवासी करांटी तहसील भिनाय जिला केकड़ी
2. तेजूसिंह पुत्र नाथूसिंह जाति राजपूत निवासी करांटी तहसील भिनाय जिला केकड़ी
3. शंभूसिंह पुत्र नाथूसिंह जाति राजपूत निवासी करांटी तहसील भिनाय जिला केकड़ी
4. हनुमानसिंह पुत्र नाथूसिंह जाति राजपूत निवासी करांटी तहसील भिनाय जिला केकड़ी

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर

अप्रार्थीगण

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :– 1. वकील प्रार्थी– शम्मी मोहम्मद
2. पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक– 09.12.2023

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि **मौजा करांटी पटवार क्षेत्र करांटी भू0अ0नि0 क्षेत्र छछुन्दरा के खाता सं0 148 में दर्ज खसरा नं. 3338 रकबा 0.93 है0 कुल खसरा 01 कुल रकबा 0.93 हैक्टेयर है** जो कि प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थी सं. 1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं0 1 पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार प्रार्थना–पत्र में जवाब प्रस्तुत कर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की खातेदारी आराजी होना स्वीकार करते हुए पत्थरगढी के आदेश जारी किया जाना उचित बताया। वकील प्रार्थी तथा पैरोकार सरकार को सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि होने का हवाला देते हुए प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा पैरा सं. 1 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार किया है।

प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत–2023 के तहत पेश हुआ। वकील प्रार्थी और पैरोकार सरकार को सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि होने का हवाला देते हुए प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की खातेदारी आराजी होना स्वीकार करते हुए पत्थरगढी के आदेश जारी किया जाना उचित बताया। उपस्थित बैंच द्वारा पत्रावली एवं राजस्व जमाबन्दी ग्राम करांटी का अवलोकन एवं मनन किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया। ऐसी स्थिति में बैंच सदस्यों द्वारा प्रार्थना–पत्र वास्ते पत्थरगढी का न्यायोचित होना पाया गया। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का

अध्यक्ष
लोक अदालत बैंच
(तालुका विधिक सेवा समिति)
केकड़ी, जिला–अजमेर

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)

स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर मौजा कदादी पटवार क्षेत्र कदादी भू0अ0नि0 क्षेत्र छछुन्दरा के खाता सं0 148 में दर्ज खसरा नं. 3338 रकबा 0.93 है0 कुल खसरा 01 कुल रकबा 0.93 हैक्टेयर प्रार्थीगण की खातेदारी होने से भू-अभिलेख निरीक्षक छछुन्दरा को राष्ट्रीय लोक अदालत की मंशानुरूप निःशुल्क मौका कमीशनर नियुक्त किया जाता है। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से कम से कम तीन दिन पूर्व समस्त पड़ौसी खातेदारान को उक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत् सूचित करेंगे तथा मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जाकर मालमा रिपोर्ट 15 दिवस के प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2023 को बैंच सदस्यों द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास लोक अदालत में सुनाया गया।

(रमेश कुमार करोल)
अध्यक्ष
रा0 लोक अदालत
अध्यक्ष
लोक अदालत बैंच
(तालुका विधिक सेवा समिति)
केकड़ी, जिला-अजमेर

(रवि शर्मा)
सदस्य
रा0 लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)